भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2694
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय पर अंकुश लगाना

2694. सुश्री महुआ मोइत्रा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के व्यय को अप्रैल-सितंबर के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आवंटन के 60% तक सीमित करने के निर्णय के आलोक में, यह पहली बार उठाया गया कदम है जिसका उद्देश्य बजट के अधिक व्यय पर अंकुश लगाना है , लेकिन यह कानूनी रूप से गारंटीकृत , मांग-आधारित योजना को संभावित रूप से कमजोर कर रहा है;

(ख) क्या सरकार यह मानती है कि यह सीमा मनरेगा अधिनियम , 2005 की धारा 3 और अनुसूची II, पैरा 29 के तहत प्रदत्त अधिकारों और स्वराज अभियान बनाम भारत संघ (2016) और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल (1996) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करते हुए काम देने से इनकार करने या मजदूरी में देरी करने के लिए मजबूर कर सकती है,

(ग) क्या सरकार ने इस सीमा के जोखिम के कारण 2023 की जुलाई-अगस्त की भीषण गर्मी के दौरान मौसमी और पर्यावरणीय प्रभाव से ग्रामीण संकट के दौरान यथा 20 प्रतिशत मांग वृद्धि से स्वतः स्थिरता लाने के रूप में मनरेगा की भूमिका के विघटन का आकलन किया है;

(घ) चालू और पिछले वित्तीय वर्षों में चुकाए गए औसत मासिक लंबित बकाया और बकाया राशि के भुगतान के लिए उपयोग किए गए नए आवंटन का अनुपात कितना है; और

(ङ) क्या सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन सुनिश्चित करने और 100 दिनों के काम और समय पर मजदूरी भुगतान के अधिकार को बनाए रखने के लिए इस सीमा को संशोधित या रद्द करने की योजना बना रही है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क),(ख),(ग) और (ङ): यह उल्लिखित है कि महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नियोजन की दृष्टि से, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 29.05.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इस विभाग को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान 'महात्मा गांधी नरेगा' योजना के लिए वार्षिक आवंटन का 60% तक खर्च करने की अनुमति दी है , जो आवश्यक मौजूदा वित्तीय मापदंडों की प्रयोज्यता के अध्यधीन है। यह उल्लेखनीय है कि , महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार की मांग में मौसमी बदलाव होते हैं और वर्ष की पहली तिमाही में गर्मी और कृषि के कम उत्पादन के मौसम के कारण अपेक्षाकृत अधिक श्रम दिवस का सृजन होता है। ग्रामीण विकास विभाग ने चालू वित्त वर्ष में रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त निधियां जारी करने की अनुमति देने के लिए व्यय विभाग से पहले ही संपर्क किया है।

(घ): 1 अप्रैल, 2025 तक, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 17,259.56 करोड़ रुपये की राशि मजदूरी देनदारियों के रूप में और 15,641.56 करोड़ रुपये की राशि सामग्री देनदारियों के रूप में लंबित थी। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% लंबित मजदूरी देनदारियाँ और 50% सामग्री देनदारियाँ पहले ही जारी कर दी गई हैं।